97 ~~400~~

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 292 /43-म.बा.वि./2002
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेंगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल लागू होगा।

2. ''उत्तर प्रदेश'' के स्थान पर ''उत्तरांचल'' पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 में जहां-जहां शब्द पद ''उत्तर प्रदेश'' आया है, वहां वह शब्द ''उत्तरांचल'' के रूप में पढा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-1 नियम-3 के खण्ड (क) में नियुक्ति प्राधिकारी का तात्पर्य निदेशक, समेकित बाल विकास सेवा, उत्तरांचल से होगा।

4. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-7 में नियम-21 में पद व वेतनमान परिशिष्ट में निम्नानुसार पढे जायेंगे:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	मुख्य लिपिक (कार्यालय अधीक्षक)	5	रू0 4500-7000
2.	वरिष्ठ सहायक (ज्येष्ठ सहायक)	34	रू0 4500-7000
3.	वरिष्ठ लिपिक (ज्येष्ट लिपिक)	29	रू0 4000-6000

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
4.	कनिष्ठ लिपिक	10	रू0 3050-4590
5.	आशुलिपिक	1	रू0 4000-6000

5. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जायें।

6. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-8(1) एवं नियम-8(2) निम्नांनुसार पढ़े जायेंगे :-

8(1) - आशुलिपिक के पदों हेतु शैक्षिक अर्हता स्नातक होगी एवं इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा अंग्रेजी में आशुलेखन एवं टंकण तथा कम्पयूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. आफिस सहित) अनिवार्य होगी।

8(2) - कनिष्ठ लिपिकों के पदों हेतु उल्लिखित शैक्षिक अर्हताओं के अतिरिक्त हिन्दी में टंकण एवं कम्पयूटर के संचालन की पूर्ण जानकारी (एम.एस. आफिस सहित) अनिवार्य होगी।

7. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-4 के नियम-8 में आशुलिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के पदों हेतु जिन्होने क्रमशः स्नातक एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जायेगी।

8. उत्तर प्रदेश समन्वित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1992 के भाग-7 का नियम-23 अपसारित समझा जायेगा।

टिप्पणी :- लिपिक वर्ग के समान वेतनमान के सभी पदों पर (निदेशालय एवं जिला स्तर के पदों को मिलाकर) किसी भी कार्मिक की आई.सी.डी.एस. विभाग में कहीं भी तैनाती की जा सकती है। कोई पद विशेष, पदोन्नति अथवा ज्येष्ठता पर आधारित नहीं है।

आज्ञा से,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 292 (1)/43-बा.वि./2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।

5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव